eISSN 2581-8996
[Date]
THE INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL
Vol. 4, Issue 02, July 2021

21वीं सदी में सत्याग्रह आन्दोलन की प्रासांगिकता

[1]डॉ० अनुपमा श्रीवास्तव
[2]डॉ० कौशलेंद्र कुमार सिंह

[1]एसोसिएट प्रोफेसर ,राजनीति शास्त्र विभाग, जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल पी. जी. कॉलेज, बाराबंकी
[2]एसोसिएट प्रोफेसर ,राजनीति शास्त्र विभाग, जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल पी. जी. कॉलेज,बाराबंकी

Received: 01 July 2021, Accepted: 15 July 2021, Published with Peer Review on line: 10 Sep 2021

Abstract

प्रस्तुत शोध–पत्र 21वीं सदी में सत्याग्रह की प्रासांगिकता को बताने के लिये लिखा गया है। सत्याग्रह की उत्पत्ति कैसे हुई ,इसनें एक नही बल्कि दुनिया के दो देशों को गुलामी की जंजीरों से आजाद कराया। दुनिया जब शक्ति द्वारा शासित की जा रही थी उस समय शांति और सत्य के मार्ग पर चलकर किस तरह सत्ता का परिवर्तन किया गया। किस तरह महात्मा गाँधी जी ने इसका प्रयोग दक्षिण अफ्रीका और भारत में किया और जो सफल भी रहा। गाँधी जी द्वारा भारत में चलाये गये अनेकों सफल व असफल सत्याग्रहों का वर्णन प्रस्तुत शोध में किया गया है। सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर सत्याग्रह किया जा सकता और जहाँ हिंसा आरम्भ हुई वही सत्याग्रह का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। गाँधी जी की मृत्यु के बाद गाँधीवाद विश्व में प्रसिद्ध विचारधारा बनी और गाँधी जी के सिद्धांतों में सत्याग्रह सदैव महत्वपूर्ण रहा। लेकिन आज 21 वीं सदी में जहाँ शांतिपूर्ण प्रदर्शन कब दंगों का रूप धारण कर ले कुछ पता नही रहता।

शांतिपूर्ण दबाव की जगह लोग बलपूर्वक अपनी बात मनावाने का प्रयास करते है जैसे जाट आरक्षण की माँग करते हुये रेल की पटरियों को उखाड़ने लगे थे और सार्वजनिक सम्पत्ति को हानि पहुँचाने लगे थे ऐसे कई अनेकों उदाहरण है। लेकिन इस समय भी सत्याग्रह के अनेकों सफल प्रयोग देखे गये । अन्ना हजारे जो आज के गाँधी कहे जाते है इन्होने अनेकों सत्याग्रह आंदोलन किये और सभी शांतिपूर्ण व लगभग सफल भी रहे। हाल ही में NRC & CAA के विरोध में तथा 3 कृषि विधेयकों के विरोध में सत्याग्रह आंदोलन हुआ किन्तु उनका आरम्भ शांतिपूर्ण हुआ था लेकिन अंत हिंसा से हुआ। जैसे ही हिंसा आरम्भ हुई सत्याग्रह अपने प्राण त्याग देता है। सत्याग्रह के

माध्यम से जन समर्थन प्राप्त किया जाता है किंतु जब वो सत्याग्रह हिंसा का रूप धारण कर लेती है तो उसके प्रति किसी को भी सहानुभूति नही रहती है। अनेकों उदाहरणों का वर्णन प्रस्तुत शोध–पत्र में किया गया है और किसी सत्याग्रह के सफल व असफल होने के पीछे के कारकों का भी वर्णन किया गया है। जब हम सही होते है तो हमारे अंदर एक आत्मविश्वास आता है और यह शक्ति के रूप मे लोगो को प्रभावित करती है और आपके पक्ष में आकर्षित करती है और फिर एक विशाल जनसमर्थन आपको प्राप्त हो जाता है। जनता की सहानुभूति और सहयोग से सत्याग्रह की शक्ति में वृद्धि होती है और फिर उस शक्ति से टकराने का सामार्थ्य किसी भी शासन सत्ता में नही रहता है। बलपूर्वक ,अत्याचार करके कभी भी लम्बे समय तक शासन नही किया जा सकता है, और सत्याग्रह का उद्देश्य ही है कि आप सत्य को स्वीकार करे । सत्य कभी पराजित नही होता और इसीलिये 21वीं में भी सत्याग्रह उतना ही प्रभावशाली है जितना 20वी सदी में था। उपर्युक्त विषयों का अध्ययन करके यह शोध पत्र लिखा गया और यह विषय आज के समय में विचारणीय भी है।

Keywords: स्वतंत्रता, सत्याग्रह आंदोलन, 21वीं सदी के सत्याग्रह आंदोलन, अन्ना हजारे के सत्याग्रह आंदोलन, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर विरुद्ध सत्याग्रह आंदोलन, कृषि कानूनों के विरुद्ध किसानों का सत्याग्रह।

Introduction

आज 21वीं सदी में जब दुनिया भौगोलिक और राजनीतिक सम्प्रभुता की सीमाओं को तोड़ते हुए भूमण्डलीकरण के प्रभाव से 'ग्लोबल विलेज' में बदलती जा रही थी । आधुनिक संचार प्रौद्योगिकी के प्रयोग से राष्ट्रों के बीच की दूरी कम होती जा रही थीं। नवउदारीकरण और निजीकरण के परिणाम स्वरूप राष्ट्रीयकरण की बजाय विनिवेशीकरण का दौर प्रारम्भ हो गया था। दुनिया में आत्मनिर्भरता की बजाय अंतर्निर्भरता की अवधारणा (Think globly, Act localy) भूमण्डलीय सोच को स्थानीय स्तर पर क्रियान्वित करने की तरफ बढ़ रही थी। ऐसी स्थिति में Covid–19 जैसी वैश्विक महामारी के बाद पुनः पुरानी अवधारणाएँ राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता और राष्ट्रीयकरण प्रासांगिक हो गए। इसी प्रकार राजनीतिक चिन्तन के क्षेत्र में समस्याओं के समाधान के लिये विरोध स्वरूप जहाँ 20वीं शताब्दी में सत्याग्रह आन्दोलन चलाये गए जिसका सकारात्मक परिणाम भी रहा। परन्तु आज दुनियाँ के कुछ राज्य विश्व वन्धुत्व व वसुधैव कुटुम्बकम की तरफ बढ़ने की बजाय

इस्लामिक कट्टरपंथ की ओर बढ़ रही है। इस्लामिक कट्टरवाद के परिणाम स्वरूप कई देशों में दक्षिणपंथ का उभार देखा गया और दक्षिण पंथी विचारधारा की सरकारों का निर्माण हुआ। इन सबके बावजूद भी 21वीं शताब्दी में भारत में समस्याओं के समाधान एवं शासन सत्ता का विरोध करने के लिए अन्ना आन्दोलन, शाहीनबाग आन्दोलन एवं किसानों के आन्दोलन चलाए गए। जिससे यह स्पष्ट होता है कि 21वीं सदी में भी सत्याग्रह आन्दोलनों की प्रासांगिकता बनी हुई है।

20वीं शताब्दी में भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अपनी बात की अभिव्यक्ति करने तथा शासन को अपनी माँग के प्रति जवाबदेह बनाने के लिए महात्मा गाँधी के नेतृत्व में सत्याग्रह आन्दोलन चलाए गए। सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ होता है– सत्य के लिए आग्रह अर्थात् सत्य को पकड़ना और पकड़े रहना। गांधी जी का सत्याग्रह सत्य और अहिंसा के सिद्धान्तों पर आधारित है उनके अनुसार एक सत्याग्रही सदैव सच्चा अहिंसक और निडर रहता है। गाँधी जी कहते थे कि सत्याग्रही में बुराई के विरुद्ध संघर्ष करते समय सभी प्रकार की यातनाओं को सहने की शक्ति होनी चाहिए। क्योंकि ये यातनाएँ ही सत्य के प्रति उसकी आसक्ति का एक हिस्सा होती है। एक सच्चा सत्याग्रही बुराई के विरुद्ध संघर्ष करते हुए भी बुराई फैलाने वाले से घृणा नहीं करता बल्कि अनुराग रखता है। वो कभी भी बुराई के सामने नहीं झुकता है चाहे परिणाम कुछ की हो। गाँधी जी के अनुसार केवल बहादुर एवं दृढ़निश्चयी व्यक्ति ही सच्चा सत्याग्रही बन सकता है। कायर व्यक्ति हिंसा का सहारा लेता है जिसका सत्याग्रह में कोई स्थान नहीं है।

सत्याग्रह शब्द 'सदाग्रह' शब्द का बदला हुआ रूप है जो कि गाँधी जी को मगन लाल गांधी द्वारा सुझाया गया था। गाँधी जी इस शब्द से तुरन्त सहमत हो गए परन्तु उन्होंने सदाग्रह में सत्य जोड़कर इसे 'सत्याग्रह' नाम दे दिया। मगनलाल खुशहालचन्द्र गांधी महात्मा गाँधी के चाचा के पोते थे जो कि गाँधी जी के साथ–साथ दक्षिण अफ्रीका गये थे और उन्ही के साथ भारत वापस आये थे। प्रारम्भ में सत्याग्रह का काफी मजाक भी बना। गाँधी जी ने जब इसका प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया तो इनके कुछ साथी इससे असहमत थे लेकिन बाद में उन्हें इसकी ताकत का बखूबी एहसास हुआ। गांधी जी ने सत्याग्रह की बदौलत दक्षिण अफ्रीका में कई आन्दोलनों का सफलता पूर्वक संचालन किया और वहाँ की रंगभेदी सरकार को झुकाने में भी सफल रहे। इसके पीछे गाँधी जी की सोची समझी रणनीति थी , उनका मानना था की यदि विरोधी की शक्ति अधिक है तो सशस्त्र विद्रोह का कोई मतलब नहीं रह जाता है इसलिए हमेशा मजबूत विरोधी को निःशस्त्र

eISSN 2581-8996
[Date]
THE INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL
Vol. 4, Issue 02, July 2021

विरोध से प्रभावित व परास्त किया जा सकता है। गांधी जी का मानना था कि सत्य का अर्थ है– प्रेम, और आग्रह वह ताकत है जो इस सत्य और प्रेम यानि अहिंसा से पैदा होती है। गाँधी जी ने लार्ड इर्विन के सामने सत्याग्रह की संक्षिप्त व्याख्या इस प्रकार की थी।

"यह ऐसा आन्दोलन है जो पूरी तरह सच्चाई पर कायम है और हिंसा के उपायों के विकल्प में चलाया जा रहा है। अहिंसा सत्याग्रह दर्शन का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। क्योंकि सत्य तक पहुंचने और उन पर टिके रहने का एक मात्र उपाय अहिंसा ही है।"

आजादी के लिए गाँधी जी ने देश भर में जितने आन्दोलन चलाए वे सभी अहिंसा और सत्याग्रह पर टिके थे। सत्याग्रह को परिभाषित करते हुए आचार्य विनोबा भावे कहते हैं–"बुराई का प्रतिकार मत करो बल्कि विरोधी की समुचित चिन्तन में सहायता करो , उसके सदविचार में सहकार करो , शुद्ध विचार करने, सोचने–समझने, व्यक्तिगत जीवन में उसका अमल करने और दूसरो को समझाने में ही हमारे लक्ष्य की पूर्ति होनी चाहिये ।सामने वाले के सम्यक चिन्तन में मदद देना ही सत्याग्रह की सौम्य से सौम्यत्तर होने की प्रक्रिया है। सत्याग्रह प्रेम की वह प्रक्रिया है जिसमें उसका क्रम अधिकाधिक निखरतें जाना चाहिए।"

वर्तमान समय में हम समाज के विभिन्न हित समूहों को अपनी मांगों के लिए आन्दोलन करते देखते हैं वे अपने आन्दोलन की शुरुआत गाँधी जी को याद करके करते है तथा आन्दोलन का प्रचार प्रसार, अपने अधिकारों की रक्षा के लिए सत्याग्रह के साधनों के प्रयोग पर बल देते हैं। परन्तु कुछ समय बाद उनके आन्दोलन हिंसक हो जाते हैं आम जन जीवन अस्त–व्यस्त हो जाता है ।आन्दोलनकारी सरकारी सम्पत्तियों, रेल पटरियो, बस, ट्रक पुलिस वाहन आदि को उखाड़ते तथा आग लगा देते है। सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी भी करते हैं। जिससे सत्याग्रह आन्दोलन अपने मार्ग से भटक जाते हैं। गांधी जी हमेशा लक्ष्य की प्राप्ति के लिए साध्य एवं साधन की शुद्धता पर बल देते थे। उनका विश्वास था कि अशुद्ध भाव व साधनों से शुद्ध लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकती क्योंकि जैसा बीज होगा वैसा फल निकलेगा। उनका मानना था कि सत्याग्रह अहिंसा तथा बलिदान पर आधारित होता है। सत्याग्रह का मुख्य तत्व सत्य ही है। सत्य ईश्वर का रूप है इसकी प्राप्ति सरल नहीं होती है इसके लिए सत्याग्रही को लड़ाई लड़नी होती है मन, वचन और कर्म से किसी को हानि न पहुंचाना इसका उद्देश्य है। सत्याग्रह प्रेम पर आधारित है। प्रेम की सफलता बलिदान

तथा तपस्या पर निर्भर होती है। बलिदान और तपस्या का अर्थ है कपट तथा यातनाएँ सहन करना एवं आत्मपीड़ा में संतुष्ट होना ऐसा व्यक्ति ही निडर होकर लक्ष्य प्राप्ति कर सकता है।

2 – स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान चलाए गए प्रमुख सत्याग्रह आन्दोलन

भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में गांधी जी के आगमन से सत्याग्रह आन्दोलनों का प्रारम्भ हुआ द्य गाँधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में लम्बे समय तक रहकर अंग्रेजों की नस्लवादी नीति के खिलाफ सक्रियता से आन्दोलन चलाकर राष्ट्रवादी सिद्धान्तवादी के रूप में ख्याति अर्जित कर ली थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गोपाल कृष्ण गोखले ने गाँधी जी को ब्रिटिश शासन के खिलाफ स्वतंत्रता हेतु भारत के संघर्ष में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। गाँधी जी सन 1915 में भारत आये और उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम की रणनीति तैयार करने के लिए देश के गाँव–गाँव का दौरा किया। इससे जनमानस उनसे जुड़ा और वह सत्याग्रह आन्दोलन चलाने में सफल रहे।

2.1– चम्पारण सत्याग्रहः चम्पारण सत्याग्रह के माध्यम से देश के स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गाँधी का जुड़ना एक महत्वपूर्ण मोड था। इसी सत्याग्रह से अहिंसा के रूप में आजादी की लड़ाई को एक नया हथियार मिला । महात्मा गांधी अपने देश भ्रमण के दौरान जब चम्पारण पहुंचे तो देखा कि अंग्रेजों के नील कानून के चलते किसानों को अपनी भूमि के बड़े हिस्से पर खाद्यान की बजाय नील की खेती करना पड़ रहा था। जिसके चलते किसान अंग्रेजों के साथ–साथ अपने भू–स्वामियों के जुल्म को सहने के लिये बाध्य थे। गाँधी जी ने उनके दर्द को विस्तारपूर्वक जाना और उसके बाद चम्पारण सत्याग्रह को प्रारम्भ किया। गांधी जी की लोकप्रियता को देखकर अंग्रेजों ने गाँधी जी को चम्पारण छोड़ने का आदेश दिया किन्तु सत्याग्रह के प्रयोग के कारण गाँधी जी ने आदेश को मानने से इंकार कर दिया तो उन्हें हिरासत में ले लिया गया, सुनवाई के दौरान जनसमर्थन देखते हुए मजिस्ट्रेट ने बिना जमानत के उन्हें छोड़ने का आदेश दिया किन्तु गाँधी जी सजा माँगते रहे। सरकार ने एक जाँच आयोग का गठन किया जिसके सदस्य गाँधी जी भी थे। परिणामतः नील कानून को समाप्त कर दिया गया। भारत में सत्याग्रह की पहली विजय थी। इसने जनता को जागरूक करने तथा एक सूत्र में पिरोने का काम किया।

2.2– खेडा सत्याग्रहः गुजरात के खेड़ा जिले में सन 1518 में पूरी फसल बर्बाद हो गई जिससे किसान लगान की माफी चाहते थे परन्तु सरकारी अधिकारी किसानों की इस बात को सुनने को राजी नही थे । जब उनकी सारी प्रार्थनाएँ निष्फल हो गई तो गाँधी जी ने उन्हें सत्याग्रह करने को

कहा। गाँधी जी की अपील पर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वकालत छोडकर सार्वजनिक जीवन आरम्भ किया और गाँव–गाँव घूमकर प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर करवाए। अंग्रेजी सरकार को कर न देने के कारण किसानों के मवेशी तथा खेतों को कुर्क कर दिया गया। गाँधी जी ने किसानों को कुर्क किये हुए खेतो से फसल काटने की सलाह दी। गाँधी जी की सलाह मानते हुए मोहनलाल प्याज की फसल उखाड़ लाये तथा कुछ अन्य किसानों ने उनकी मदद की और वे सभी किसान पकड़े गए । फिर मुकदमा चला और उन्हें सजा हुई। इस प्रकार किसानों का सत्याग्रह चल निकला जो कि काफी सफल आन्दोलन था।

<u>2.3– असहयोग आन्दोलनः</u> असहयोग आन्दोलन ने भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में अहम भूमिका निभाई। सत्य और अहिंसा के हथियार का उपयोग गाँधी जी ने इस आन्दोलन में बखूबी प्रयोग किया। 1919 में पारित रॉलेट एक्ट के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया। जिससे पुलिस की शक्तियां बढ़ गई। यह अधिनियम देश में राजनीतिक गतिविधियों को रोकने के लिए लाया गया था। जिसकी वजह से इस अधिनियम के विरुद्ध गांधी जी के नेतृत्व में पूरे देश में असहयोग आन्दोलन आरम्भ हुआ द्य सर्वाधिक प्रदर्शन पंजाब में था जिसकी वजह से सरकार ने आन्दोलनकारियों पर बल प्रयोग किया जिससे जलियावाला बाग काण्ड हुआ। इस आन्दोलन ने जनता में चेतना व निर्भीकता का संचार किया।स्वतंत्रता आंदोलन जन आन्दोलन में बदल गया और यह उच्च वर्ग तक सीमित न रहकर गाँव–गाँव में पहुँच गया। रचनात्मक कार्य भी किये गए, शिक्षण संस्थाओं का संचालन , स्वदेशी आन्दोलन में चरखा तथा हथकरघा प्रारम्भ हुआ। गाँव व शहर के मध्य दूरियाँ कम हुई । यह पहला आन्दोलन था जिसमें भारतीय जनता ने अपनी शक्ति एवं अधिकारों को पहचाना। यह आन्दोलन हिन्दू–मुस्लिम एकता प्रदर्शित करता है।

इस आन्दोलन की महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि अंग्रेजों की क्रूरता के खिलाफ लड़ने के लिए अहिंसक साधनों का प्रयोग किया गया। सरकार द्वारा दी गई उपाधियों को वापस किया गया, शराब की दुकानों को बन्द कराया गया, विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई, वकीलों ने वकालत व अधिकारियों ने अपना पद छोड़ दिया। राष्ट्रवाद के प्रसार के साथ– साथ राष्ट्रीय शिक्षा, स्वदेशी संस्थाओं एवं हिन्दी की लोकप्रियता में वृद्धि हुई। ब्रिटिश सरकार को लगा कि उनकी शक्ति अजेय नहीं है **कूपलैण्ड** ने कहा– **"गाँधी जी ने राष्ट्रीय आन्दोलन को एक क्रान्तिकारी एवं जन आन्दोलन के रूप में परिणित कर दिया है। "**

रजनीपाम दत्त ने कहा **"जनता की नफरत का ऐसा व्यापक और सफल प्रदर्शन पहले कभी नहीं देखा। इस आन्दोलन का प्रभाव, शहरी–ग्रामीण, शिक्षित–अशिक्षित, अमीर–गरीब सभी के ऊपर था।"**

5 फ़रवरी 1922 में चौरी–चौरा में आन्दोलन हिंसक हो गया जिसमें किसानों की भीड़ ने चौरी–चौरा के पुलिस स्टेशन पर हमला कर 20 पुलिस कर्मियों को मार दिया । इस घटना ने गांधी जी को बहुत विचलित कर दिया ।अतः उन्होने आन्दोलन को तत्काल वापस ले लिया। गाँधी जी ने **"यंग इंडिया"** में लिखा **" आन्दोलन को हिंसक होने से बचाने के लिए मैं हर एक अपमान हर एक यातनापूर्ण बहिष्कार यहाँ तक मौत को भी सहने को तैयार हूँ।"**

अंततः भले ही असहयोग आन्दोलन अपने घोषित उद्देश्यों को हासिल नहीं कर पाया लेकिन गाँधी जी की रणनीति व नेतृत्व ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को नए आयाम दिये।

2.4 – सविनय अवज्ञा आन्दोलनः फरवरी 1930 में कांग्रेस कार्य समिति ने पूर्ण स्वराज्य प्राप्त करने के लिए सविनय अवज्ञा आन्दोलन प्रारम्भ करने का अधिकार महात्मा गाँधी को दे दिया। इसके पूर्व 1928 के मध्य में सरदार पटेल के नेतृत्व में किसानों ने बारदौली सूरत में एक सफल सत्याग्रह किया था जिसमें सरकार को भूमिकर देने से इंकार कर दिया गया। इसलिए कांग्रेस को यह तरीका काफी प्रभावशाली लगा था। और गाँधी जी ने अपना पक्ष स्पष्ट करने के लिए वायसराय से भेंट करनी चाही किन्तु उन्होंने मिलने से मना कर दिया।

गाँधी जी ने अपनी 11 सूत्री मांगों को न माने जाने पर इर्विन को पत्र लिखा " मैने रोटी माँगी थी मुझे पत्थर मिला अब इंतजार की घड़िया समाप्त हुई।" लाहौर अधिवेशन के बाद गांधी जी ने अपने कार्यकर्ताओं को सत्याग्रह का प्रशिक्षण दिया । 12 मार्च 1930 को गाँधी जी ने अपने 79 कार्यकर्ताओं के साथ साबरमती आश्रम से समुद्र तट पर स्थित दाण्डी की ओर कूच किया । 6 अप्रैल 1930 को प्रातः काल के बाद महात्मा गाँधी ने समुद्र तट पर नमक बनाकर कानून भंग करके सविनय अवज्ञा आन्दोलन की शुरुआत की। इस आन्दोलन में निम्न कार्यक्रम सम्मिलित थे।

1– गाँव–गाँव में नमक कानून तोड़ना।

2– छात्रों द्वारा सरकारी स्कूलों तथा कर्मचारियों द्वारा सरकारी दफ्तरों का बहिष्कार।

3– स्त्रियों द्वारा शराब, अफीम और विदेशी कपड़ों की दुकानों पर धरना।

4– विदेशी कपड़ों व वस्तुओं को जलाना

eISSN 2581-8996
[Date]
THE INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL
Vol. 4, Issue 02, July 2021

5– लोगों द्वारा सरकार को किसी प्रकार का कर ना देना।

गाँधी जी द्वारा दाण्डी में नमक कानून तोड़ने से यह आन्दोलन शुरू हुआ । इस आन्दोलन में अधिकांश मुसलमानों ने भाग नहीं लिया जो इसकी सबसे बड़ी कमजोरी थीं। लेकिन फिर भी इसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

3 – 21वीं शताब्दी के सत्याग्रह आन्दोलन

समस्याओं के समाधान के लिए, सत्ता तक अपनी बात पहुंचाने के लिए आज भी सत्याग्रह आन्दोलन लोगों द्वारा अपनाये जाते हैं जिसमें अन्ना हजारे द्वारा चलाये गय भ्रष्टाचार विरोधी जन आन्दोलन, जनसूचना आन्दोलन, महाराष्ट्र भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलन, जनलोकपाल विधेयक आन्दोलन तथा CAA o NRC के विरुद्ध अल्प संख्यकों द्वारा चलाए गए शाहीन बाग व लखनऊ सत्याग्रह आन्दोलन तथा 3 कृषि अधिनियमों के विरुद्ध किसानों द्वारा चलाये गये आन्दोलन प्रमुख है।

3.1 – अन्ना हजारे के सत्याग्रह आन्दोलनः अन्ना किशन बाबूराव हजारे एक भारतीय समाज सेवी है जिन्हें 21वीं सदी का गाँधी भी कहा जाता है। अन्ना हजारे ने जन समस्याओं के समाधान के लिये कई महत्वपूर्ण सत्याग्रह आन्दोलन चलाये। सबसे पहले उन्होंने भाजपा व शिवसेना के कुछ मंत्रियों के भ्रष्टाचार के विरुद्ध जाँच को लेकर भूख हड़ताल की जिनके ऊपर आय से अधिक सम्पत्ति रखने का आरोप लगाया गया था। अन्तत सरकार को अन्ना हजारे की बात मानकर दागी मंत्रियों को हटाया गया। अन्ना के द्वारा कोई साक्ष्य न दे पाने पर उन्हें 3 महीने की जेल हुई किन्तु जन समर्थन को देखते हुये सरकार को उन्हें छोड़ना पड़ा। 2003 में कांग्रेस और छब्ब के 4 मंत्रियों सुरेश दादा जैन, नवाबमलिक, विजयकुमार पण्डित, पहना सिंह पाटिल के भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम छेड़ दी तथा भूख हड़ताल पर बैठ गए। तत्कालीन महाराष्ट्र सरकार ने एक जांच आयोग का गठन किया। नवाब मलिक ने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया और आयोग ने जब सुरेश जैन के खिलाफ आरोप तय किये तो उन्हें भी त्याग पत्र देना पड़ा।

अन्ना हजारे ने सूचना के अधिकार के लिए मुम्बई के आजाद मैदान से अपना अभियान शुरू किया। 5 अगस्त 2003 को मुम्बई के आजाद मैदान में अन्ना हजारे आमरण अनशन पर बैठ गए। २२ दिन तक चले आमरण अनशन के दौरान अन्ना हजारे और सूचना के अधिकार आन्दोलन को देशव्यापी जन समर्थन मिला। 2003 में ही महाराष्ट्र सरकार को इसके लिए एक मजबूत व

कठोर विधेयक को पारित करना पड़ा। बाद में सूचना के अधिकार आन्दोलन ने राष्ट्रीय स्वरूप धारण कर लिया। 22 अक्टूबर 2004 को भारतीय संसद ने भी सूचना का अधिकार अधिनियम पारित किया । जिसे 10 अक्टूबर 2005 से लागू किया गया।

जनसेवकों के भ्रष्टाचार की जांच हेतु जनलोकपाल कानून के लिए अन्ना हजारे और उनके सहयोगियों ने 4 अप्रैल 2011 को जंतर–मंतर पर सत्याग्रह आन्दोलन आरम्भ किया जिसमे अरविन्द केजरीवाल, किरन बेदी, प्रशांत भूषण, कुमार विश्वास ,योगेंद्र यादव आदि शामिल थे। इसमें संचार साधनो का प्रयोग कर, इसके प्रभाव को पूरे देश में फैलाया गया। इन्होंने सरकार से लोकपाल विधेयक बनाने की मांग की थी और उसका एक मसौदा भी दिया था। सरकार ने एक समिति भी बनाई और लोकपाल विधेयक लाने का आश्वासन भी दिया । किन्तु सरकार द्वारा लाए गए विधेयक कमजोर व जनलोकपाल के विपरीत थे। जिसके कारण अन्ना हजारे ने आमरण अनशन किया और इसके लिये पुलिस ने उन्हें जेल भेज दिया । अन्ना ने जेल में ही अनशन आरम्भ कर दिया तो फिर उन्हे विशाल जनसमर्थन मिला और उन्हे रिहा कर दिया गया। उसके बाद अन्ना हजारे को रामलीला मैदान में 7 दिनों तक अनशन की अनुमति प्रदान की जिससे वह सहमत नही हुए । सरकार द्वारा जनलोकपाल विधेयक पास करने के आश्वासन के बाद अन्ना ने अपना अनशन स्थगित किया। अतः 21वीं सदी में भी सत्याग्रह आन्दोलन सफल रहा।

3.2 – राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) एवं नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA)2019 के विरुद्ध सत्याग्रह आन्दोलन

राष्ट्रीय नागरिक पंजीकरण (NRC) सभी भारतीय नागरिकों का एक रजिस्टर है, इसे 2003–2004 में संशोधित नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार बनाया गया है। इसे असम राज्य को छोड़कर अभी तक कहीं भी लागू नहीं किया गया है। असम एक सीमावर्ती राज्य होने के नाते अवैध आव्रजन की अनूठी समस्याएं रहती हैं। 1951 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर 1951 में राज्य के लिए एन. आर. सी. बनाया गया था । 1983 में अवैध प्रवासी (न्यायाधिकरण निर्धारण) अधिनियम को संसद द्वारा पारित किया गया था, ताकि असम में अवैध प्रवासियों की पहचान के लिए अलग– न्यायाधिकरण प्रक्रिया बनाई जा सके । सर्वोच्च न्यायालय ने 2005 में इसे असंवैधानिक करार कर दिया, जिसके बाद भारत सरकार ने असम राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर को

अद्यतन करने पर सहमति व्यक्त की। सरकार की धीमी प्रक्रिया के कारण सर्वोच्च न्यायालय ने 2013 में प्रक्रिया का निर्देश दिया और उस पर अद्यतन एन आर. सी. 31 अगस्त 2019 को प्रकाशित हुई।भारत सरकार ने इसे पूरे देश में लागू करने का वादा किया है, लेकिन असम एन. आर. सी उम्मीदों पर खरा नहीं उत्तर पाया। यह माना जाता है कि सूची में कई वैध नागरिक बाहर रह गये जबकि अवैध प्रवासी शामिल हो गए थे।

नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 भारत की संसद द्वारा पारित किया गया जो कि 1955 के नागरिकता कानून में संशोधन करता है। यह प्राविधान करता है कि

a) बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान आदि से भारत में आने वाले हिन्दू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी को भारतीय नागरिकता प्रदान की जाएगी।

b) यदि पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यक 5 वर्ष से भारत में रह रहे हैं तो वे अब भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, पहले यह व्यवस्था 11 वर्ष की थी ।

c) जो प्रवासी 31 दिसम्बर 2014 से भारत में अवैध रूप से रह रहे हैं। वे अब भारतीय नागरिकता हेतु आवेदन कर सकते हैं।

इस विधेयक के प्राविधानों को लेकर यह विवाद उत्पन्न हुआ कि इसमें मुस्लिम समुदाय को शामिल नहीं किया गया है जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14– 'विधि के समक्ष समता' का उल्लंघन करता है। यह तर्क दिया जाने लगा कि भारत एक धर्म निरपेक्ष देश है अतः धर्म के आधार पर विभेद नहीं किया जा सकता है। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैण्ड और अरुणाचल प्रदेश में इस अधिनियम का विरोध प्रारम्भ हो गया क्योंकि ये राज्य बांग्लादेश की सीमा के बेहद करीब है और वहाँ से बड़े स्तर पर आव्रजन हुआ है। सबसे प्रमुख सत्याग्रह आन्दोलन दिल्ली के शाहीन बाग में मुस्लिम महिलाओं द्वारा किया गया। शाहीन बाग में प्रदर्शनकारियों ने 15 दिसम्बर 2019 से 55 दिनों तक अहिंसक प्रतिरोध का इस्तेमाल करते हुए नई दिल्ली में एक प्रमुख राजमार्ग को 8 फरवरी 2020 तक बंद रखा। शाहीन बाग के अलावा, लखनऊ तथा अन्य कई शहरों में भी मुस्लिम महिलाओं ने इसके विरुद्ध सत्याग्रह आन्दोलन चलाया। कोविड –19 महामारी आने के कारण तथा दिल्ली में साम्प्रदायिक दंगा भड़कने के कारण इस सत्याग्रह आंदोलन को समाप्त करना पड़ा । यह सत्याग्रह आन्दोलन एक धर्म विशेष का

आन्दोलन बन कर रह गया था, समाज के अन्य वर्गों का समर्थन इसे प्राप्त नहीं हो सका । अतः यह सत्याग्रह आन्दोलन अपनी वर्गगत कमियो के कारण सफल नहीं हो सका।

3.3 – तीन कृषि कानूनों के विरुद्ध किसानों का सत्याग्रह आन्दोलनः भारतीय संसद ने 20 और 22 सितम्बर 2020 को कृषि सम्बंधी 3 विधेयको को पारित किया। जिसे 27 सितम्बर को भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा मंजूरी के बाद ये कानून बन गए, कि जो कि निम्न है।

a) कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन एवं सरलीकरण) विधि–2020

b) कृषक (सशक्तीकरण व संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधि–2020

c) आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधि–2020.

इन विधियों को वापस लेने के लिए किसानों द्वारा सत्याग्रह आन्दोलन प्रारम्भ किया गया । जो कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर–प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और करीब–करीब पूरे देश में कहीं अधिक – कहीं कम यह सत्याग्रह आन्दोलन चलाया जा रहा है। किसानों का कहना है कि इन कानूनों के जरिए ए.पी.एम.सी (एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी) की मंडियो के साथ–साथ निजी कंपनियों को भी किसानों के साथ अनुबंधीय खेती, खाद्यान्नो की खरीद और भंडारण के अलावा बिक्री का अधिकार होगा। किसानों को इस बात की आशंका है कि सरकार किसानों से गेहूँ और धान जैसी फसलों की खरीद को कम करते हुए बन्द कर सकती हैं, और उन्हें पूरी तरह से बाजार के भरोसे रहना पड़ेगा। उन्हें लगता है कि इससे निजी कम्पनियों को लाभ होगा और न्यूनतम समर्थन मूल्य के समाप्त होने से किसानों की मुश्किले बढ़ेगी। कानूनों में कही भी ए. पी. एम.सी. मंड़ियों को बन्द करने की बात नहीं कही गयी है, परंतु किसानों को डर है कि निजी कंपनियों के बाजार में आने से अन्त में यही होगा। इन्हीं आशंकाओं के चलते सबसे पहले पंजाब के किसानों ने सत्याग्रह आन्दोलन प्रारम्भ किया। हरियाणा के किसान आन्दोलन में सितम्बर में शामिल हुए। तत्पश्चात उत्तर प्रदेश और अन्य प्रदेशों के किसान भी शामिल हो गये । किसानों की केन्द्र सरकार के प्रतिनिधियों से कई दौर की वार्ता हुई, परन्तु कोई समाधान नहीं निकल सका । किसान तीनों कृषि कानूनों के पूर्ण वापसी पर ही अभी तक अड़े हुए हैं।

किसानों का मानना है कि ए. पी. एम. सी. की मंडियो से बाहर बाजार दर पर अपनी फसल यदि वे बेचते हैं, तो हो सकता है कि उन्हें थोड़े समय तक फायदा हो लेकिन बाद में एम. एस. पी.

की तरह निश्चित दर पर भुगतान की कोई गारंटी नहीं होगी। जबकि सरकार का तर्क है कि कृषि कानून एम.एस.पी. और ए.पी.एम.सी. मंडियों को प्रभावित नहीं करेंगे। नई विधियों के तहत अनुबंधीय खेती को भी मंजूरी प्रदान की गयी है। यानी अब थोक विक्रेता प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज और प्राइवेट कम्पनी से सीधे अनुबंध करके अनाज का उत्पादन कर सकते है। इसमें फसल की कीमत तय करके अनुबंध किया जा सकता है। सरकार का तर्क है कि इससे किसानों को सीधा लाभ होगा और इसमे से बिचौलियों का हिस्सा बीच से समाप्त होगा। सरकार का तर्क है कि वस्तुओं के भण्डारण पर कोई रोक नहीं होगी जिससे निजी निवेश आएगा और कीमतें स्थिर होगी, जबकि किसानों का कहना है कि इन प्राविधानों से निजी कम्पनियाँ बड़े पैमाने पर इन उत्पादों का भण्डारण करने लगेगी और अपने फायदे के लिए बाजार में इन उत्पादों की आपूर्ति में कृत्रिम कमी पैदा की जाएगी ।

इन्हीं सब माँगो को लेकर किसान सत्याग्रह आन्दोलन कर रहे हैं और तीनों कृषि कानूनों को वापस करने के लिए अडे हुए है। किसानों ने अपने सत्याग्रह आन्दोलन को मजबूती प्रदान करने एवं जन समर्थन प्राप्त करने के लिए 26 जनवरी 2021 को नई दिल्ली में गणतन्त्र दिवस की परेड के बाद ट्रैक्टर रैली निकाली। ट्रैक्टर रैली में कुछ अराजक तत्वों के प्रवेश के कारण रैली अपने लक्ष्य से भटक गयी और कुछ अराजक तत्वों ने लाल किले पर जाकर भारतीय तिरंगे के समानान्तर खालिस्तान का झण्डा लहरा दिया। इस कारण जहाँ सत्याग्रह आन्दोलन को जन समर्थन मिलना था, वहीं इसका पूरे देश में विरोध होने लगा।

तीन कृषि विधियों के वापसी के लिए किसानों का सत्याग्रह आन्दोलन अभी भी चल रहा है, परंतु किसी परिणित तक पहुँचता हुआ नहीं दिख रहा है।

4- निष्कर्ष

सत्याग्रह एक निर्बल का शक्तिशाली के विरुद्ध हथियार न होकर एक शक्तिशाली का दूसरे शक्तिशाली के विरुद्ध हथियार है। एक जो बाहुबल से मजबूत है और दूसरा जो अपनी आत्मा व सत्य की शक्ति से मजबूत है। एक जो हिंसा को अपना माध्यम बनाकर विजय प्राप्त करना चाहता है और दूसरा जो अहिंसा और शांति के माध्यम से विजय प्राप्त करना चाहता है और अहिंसा भी ऐसी कि अपने विरोधी के प्रति अपने मन में कोई बुरी भावना भी न लाये । उसे सिर्फ अपने सत्य

पर अटल विश्वास रहता है और वही उसकी ताकत होती है जिसके सहारे वो बड़े से बड़े साम्राज्य को भी अपने सामने झुकने पर मजबूर कर सकता है। युद्ध करना आसान है लेकिन सत्याग्रह करना बहुत मुश्किल। यह दुर्बलों की लड़ाई नही अपितु सबलों की लड़ाई है।

सभी प्रकार की शारीरिक ,मानसिक यातनाएँ सहने के बाद भी सामने वाले व्यक्ति के प्रति कोई दुर्भावना न रखना और उसके ह्रदय परिवर्तन का प्रयास करते रहना एक शक्तिशाली व्यक्ति ही ऐसा कार्य कर सकता है और इसके लिये शारीरिक बल की नही अपितु आत्मिक बल की आवश्यकता होती है। जो कि हर व्यक्ति के पास नही होती है। 20वीं सदी में महात्मा गाँधी ने अनेको सत्याग्रह आंदोलन किये और लगभग सभी शांतिपूर्ण रहे और सफल भी रहे । असहयोग आंदोलन के समय जब चौरी–चौरा काण्ड हुआ तो गाँधी जी ने तत्काल सत्याग्रह वापस लेकर यह संदेश देना चाहा कि सत्याग्रह तभी तक जीवित रहता है जब तक वो सत्य और अहिंसा पर आधारित होता है। जैसे ही उसमें हिंसा की उत्पत्ति होती है सत्याग्रह की आयु उसी वक्त समाप्त हो जाती है। इतिहास से लेकर वर्तमान तक के विभिन्न सत्याग्रहों का अध्ययन करने के बाद यह बात सिद्ध भी हुई है।

2020 में किसानों का कृषि विधेयक के विरुद्ध सत्याग्रह आरम्भ हुआ और उसे जन समर्थन भी मिल रहा था लेकिन 26 जनवरी 2021 की घटना ने पूरे भारत की जनता को उसके विरुद्ध कर दिया। जब लाल किला पर भारत के तिरंगे के स्थान पर खालिस्तानी झण्डा फहराया गया और आसामजिक कृत्य किये गये। और इस घटना से इस आंदोलन के प्रति लोगो की बची कुची सहानुभूति भी समाप्त हो गई और यह आंदोलन निर्बल हो गया । अन्ना हजारे के आंदोलनों को अगर देखे तो उन्होनें सत्याग्रह के सत्य और अहिंसा रूपी प्रमुख तत्वों को साधे रखा और अपने आंदोलनों में सफल रहे। इससे एक बात तो स्पष्ट है कि 21वी सदी में भी सत्याग्रह उतना ही प्रासांगिक है जितना 20वीं सदी में गाँधी जी के समय था । आज भी सत्याग्रह में वह ताकत है वह सामर्थ्य है कि किसी भी शासन सत्ता को अपनी बात मनवाने के लिये बाध्य कर सके । किंतु सत्याग्रह करने के लिये सत्याग्रह के कुछ तत्वों को आत्मसात करना पड़ता है। मन ,वचन और कर्म से अहिंसक बनना पड़ता है। अपने सत्य के प्रति दृढ़ संकल्पित होना पड़ता है। आत्मा को मजबूत करना पड़ता है और यह तभी मजबूत होगी जब आप सत्य के मार्ग पर होंगे । असत्य मन में भय का निर्माण करता है और व्यक्ति को कमजोर बनाता है जबकि सत्य व्यक्ति को आत्मविश्वास से

भरता है और उसे एक असीम शक्ति की अनुभूति होती है और यही उसके विजय का कारण बनती है।

आंदोलनों में बढ़ती हिंसा और सत्याग्रह का बदलता स्वरूप उसे एक कमजोर दिशा में ले जा रहा है । यदि आपको सत्याग्रह की वास्तविक शक्ति से परिचित होना है तो आपको उसके वास्तविक स्वरूप को स्वीकार करना होगा । जिस तरह शेर की खाल पहन लेने से गीदड़ शेर नही हो जाता उसी तरह झूठे सत्याग्रह का आवरण ओढ़कर कोई भी सत्याग्रह उस शक्ति को नही प्राप्त कर सकता है जो वास्तविक सत्याग्रह में होती है।

संदर्भ - सूची

1- Gandhi M.K, 1948, My Experiments with truth

2- Gandhi.M.K , 1928, Satyagraha in South Africa

3- Mattaini M.A , 2013, Strategic Nonviolent power:The science of Satyagrah, Athabasca University Press

4- Rai A.S ,2000, Gandhian Satyagrah:An analytical and critical approach, Concept Publishing Company

5- Sharma J.N , 2012 , Satyagrah:Ghandi's approach to conflict resolution, Cooperation for a peaceful sustainable world

6- The Farmer's produce trade and commerce (promotion and facilitation)act 2020, The Gazette of India, 2020

7- Narendra Nagarwal,2020, Global Implications of india's citizenship amendment act 2019

8- Gary hausman, 2020, Citizenship amendment act (CAA) and National Register of citizens(NRC), Global studies Blog

9- Three bills aimed at transformation of agriculture and raising Farmer's Income, PIB Delhi 2020

10- K.Deepalakshmi, 2017, The Long wait for a lokpal , The Hindu